

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004.

:: अधिसूचना ::

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर, 2023

क्रमांक: एफ 3-12/2023/1/4 :: भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक दिनांक 8 जून 1957 के साथ पढी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अंतर्गत सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में विधानसभा आम चुनाव 2023 के सिलसिले में दिनांक 17 नवम्बर 2023 (शुक्रवार) को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा।

2/ क्रमांक : एफ 3-12/2023/1/4 राज्य शासन एतद् द्वारा यह भी घोषित करता है कि विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए मतदान के दिन दिनांक 17 नवम्बर 2023 (शुक्रवार) को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सामान्य अवकाश का भी दिन होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(दिलीप कुमार कापसे)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक: एफ 3-12/2023/1/4

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर, 2023

प्रतिलिपि:-

01. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल।
02. समस्त मुख्य सचिव, राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश।
03. अध्यक्ष, राजस्व मंडल म.प्र., ग्वालियर।
04. महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी/अध्यक्ष मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल/ माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल।
05. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
06. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
07. शासन के समस्त विभाग।
08. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
09. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
10. समस्त जिला कलेक्टर, मध्य प्रदेश।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।

निरन्तर 2